Phone & Fax no 0135-2658294 Email: cfshiwa-forest-uk@nic.in

I/31907/2023

I/31907/2023

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग—72 (झाझरा के पास) दिल्ली—देहरादून एक्सप्रेस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.000 से किमी0 12.00 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून कार्यालय के पत्रांक—101, दिनांक 20.07.2023 एवं महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0—वसन्त विहार (देहरादून) का पत्रांक— **NHAI/PIU-VSNT-VHR/33011/JHRA-ASHR/Forest/2021/5127** दिनांक—09.08.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक—543/12—1 दिनांक 11.08.2023 द्वारा अपनी आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गयी हैः—

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू—वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना दिल्ली—देहरादून एक्सप्रेसवे से पांवटा साहिब—बल्लुपूर को जोड़ते हुए देहरादून में आने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु वन विभाग अन्तर्गत 20.0849 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 12 कि0मी0 में से 6.71 कि0मी0 भाग देहरादून वन प्रभाग की आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिससे कुल 6574 वृक्ष (इसमें साल प्रजाति के विभिन्न व्यास के 4507 वृक्ष भी सम्मिलित है) प्रभावित हो रहे है। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में नाम भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 261 वृक्ष (216 गैर फलदार 45 फलदार) एवं गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 08 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे है। प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि चूंकि इस परियोजना के वन क्षेत्रान्तर्गत 6.71 कि0मी0 के भाग में 6574 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जो कि अत्यधिक है। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0 पी0आई0यू0—वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि उक्त परियोजना हेतु टनल/एलिवेटेड/अन्य विकल्पों पर पुनः विचार किया जाए, जिससे कि प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यून किया जा सके।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि " इस परियोजना से कुल 6574 पेड प्रभावित है जिनमें से 2118 छोटे पौधे (Saplings) हैं। छोटे पौधे (Saplings) को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि छोटे पौध (Saplings) को हटा दिया जाए तो काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 4456 होगी। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रारम्भ में भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा 3 संरेखण की डी0पी0आर0 स्टडी के पश्चात यह संरेखण भा0रा0रा0प्रा0 की भूमि अधिग्रहण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। दिनांक 20.07.2023 को दिये गये ई0डी0एस0 के अनुपालन में, भा0रा0रा0प्रा0 के डी0पी0आर0 कनसलटेन्ट द्वारा उन्नत संरचना (Elevated Structure) तथा टनल के संबंध में भी अध्ययन किया गया तथा यह बताया गया कि ऐलिवेटड कोरिडोर बनाने पर भी कटने वाले वृक्षों की संख्या में कोई कमी नही आएगी तथा टनल का निर्माण इस क्षेत्र के ढलान, असमान ऊंचाई एवं अत्यधिक वृक्षों के कारण सम्भव नही होगा।

Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 14/08/2023 05:21 pm

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था द्वारा निम्न सूचना भी अपने पत्र के साथ संलग्नकों के साथ दी गयी हैंः–

I/31907/2023

साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह प्रस्ताव दिनांक 03.04.2021 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। परियोजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एक प्रस्तुतिकरण मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष दिनांक 11.11.2020 को किया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून भी उपस्थित थे। इस बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त में इस परियोजना के संरेखण पर सहमति प्रदान की गयी थी। (संलग्नक–01)

संरेखण का वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया है एवं वृक्षों की संख्या कम करने के लिए पूर्व में कई बार अध्ययन करते हुए संरेखण को तैयार किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार हैंः–

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्रांक क्रमांक 978/12–1 दिनांक 15.04.2021 द्वारा वन विभाग एवं भा0रा0रा0प्रा0 के प्रतिनिधियों के साथ इन संरेखण एवं वृक्ष सत्यापन के संबंध में दिनांक 22.04.2021 से 24.04.2021 तक संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात् रेंजर, आशारोड़ी के पत्र दिनांक 27.05.2021 एवं भा0रा0रा0प्रा0 के पत्रांक 704 दिनांक 29.06.2021 के क्र में वन कंपार्टमेंटों की पहचान हेतु वन सर्वेक्षक के साथ दिनांक 30.06.2021 को भी संयुक्त निरीक्षण किया गया।

(संलग्नक–02)

उपरोक्त के क्रम में मा0 अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 02.06.2021 को दिये गये निर्देशानुसार वन संरक्षक, शिवालिक, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी कालसी और प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी आदि की उपस्थिति में संरेखण्ड की जांच हेतु दिनांक 24.06.2021 को वन स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक–3A)

संयुक्त स्थल निरीक्षण नोट दिनांक 24.06.2021 के पैरा 2 के अनुसार संरेखण में वृक्षों की कटान की संख्या को कम करने के लिए 03.10.2021 को वन अधिकारियों और भा0रा0रा0प्रा0 प्रतिनिधियों के साथ एस0डी0ओ0 देहरादून, की उपस्थिति में सयुंक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या में कमी संभव नहीं है।

(संलग्नक–3B)

पुनः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्र क्रमांक 311/12–1 दिनांक 23.07.2022 के अन्तर्गत वन प्रस्ताव में छोटे पौधे (Saplings) आदि को सम्मिलित करने हेतु दिनांक 25.07.2022 से 16.08.2022 तक संयुक्त निरीक्षण किया गया।

(संलग्नक–04)

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड ने पूर्व में ही अपने पत्र संख्या के माध्यम से उपरोक्त परियोजना संरेखण के लिए अपने पत्र सं0 455 दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से अपने सहमति जारी की गयी है। (संलग्नक–5)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार परियोजना निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें। ''

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांकः– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 14/08/2023 05:21 pm

I/31907/2023

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 543 /12–1 देहरादून, दिनांक 11 अगस्त, 2023

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून। दिनांक 14/8/23

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–72 (झाझरा के पास) दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.000 से किमी0 12.00 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून कार्यालय के पत्रांक–101, दिनांक 20.07.2023 एवं महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0–वसन्त विहार (देहरादून) का पत्रांक– **NHAI/PIU-VSNT-VHR/33011/JHRA-ASHR/Forest/2021/5127** दिनांक–09.08.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था ने अपने पत्रांक–5130, दिनांक 10.08.2023 को इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है:–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू–वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे से पांवटा साहिब–बल्लुपूर को जोड़ते हुए देहरादून में आने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु वन विभाग अन्तर्गत 20.0849 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 12 कि0मी0 में से 6.71 कि0मी0 भाग देहरादून वन प्रभाग की आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिससे कुल 6574 वृक्ष (इसमें साल प्रजाति के विभिन्न व्यास के 4507 वृक्ष भी सम्मिलित है) प्रभावित हो रहे है। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में नाम भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 261 वृक्ष (216 गैर फलदार 45 फलदार) एवं गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 08 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे है। प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि चूंकि इस परियोजना के वन क्षेत्रान्तर्गत	इस परियोजना से कुल 6574 पेड प्रभावित है जिनमें से 2118 छोटे पौधे (Saplings) हैं। छोटे पौधे (Saplings) को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि छोटे पौध (Saplings) को हटा दिया जाए तो काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 4456 होगी। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रारम्भ में भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा 3 संरेखण की डी0पी0आर0 स्टडी के पश्चात यह संरेखण भा0रा0रा0प्रा0 की भूमि अधिग्रहण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। दिनांक 20.07.2023 को दिये गये ई0डी0एस0 के अनुपालन में, भा0रा0रा0प्रा0 के डी0पी0आर0 कनसलटेन्ट द्वारा उन्नत संरचना (Elevated Structure) तथा टनल के संबंध में भी अध्ययन किया गया तथा यह बताया गया कि ऐलिवेटड कोरिडोर बनाने पर भी कटने वाले वृक्षों की संख्या में कोई कमी नही आएगी तथा टनल का निर्माण इस क्षेत्र के ढलान, असमान ऊंचाई एवं अत्यधिक वृक्षों के कारण सम्भव नही होगा।

Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 14/08/2023 05:21 pm

I/31907/2023

	6.71 कि0मी0 के भाग में 6574 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जो कि अत्यधिक है। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0 पी0आई0यू0–वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि उक्त परियोजना हेतु टनल/एलिवेटेड/अन्य विकल्पों पर पुनः विचार किया जाए, जिससे कि प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यून किया जा सके।	

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था द्वारा निम्न सूचना भी अपने पत्र के साथ संलग्नकों के साथ दी गयी हैः–

साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह प्रस्ताव दिनांक 03.04.2021 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। परियोजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एक प्रस्तुतिकरण मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष दिनांक 11.11.2020 को किया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून भी उपस्थित थे। इस बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त में इस परियोजना के संरेखण पर सहमति प्रदान की गयी थी। (संलग्नक–01)

संरेखण का वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया है एवं वृक्षों की संख्या कम करने के लिए पूर्व में कई बार अध्ययन करते हुए संरेखण को तैयार किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्रांक क्रमांक 978/12–1 दिनांक 15.04.2021 द्वारा वन विभाग एवं भा0रा0रा0प्रा0 के प्रतिनिधियों के साथ इन संरेखण एवं वृक्ष सत्यापन के संबंध में दिनांक 22.04.2021 से 24.04.2021 तक संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात् रेंजर, आशारोड़ी के पत्र दिनांक 27.05.2021 एवं भा0रा0रा0प्रा0 के पत्रांक 704 दिनांक 29.06.2021 के क्र में वन कंपार्टमेंटों की पहचान हेतु वन सर्वेक्षक के साथ दिनांक 30.06.2021 को भी संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक–02)

उपरोक्त के क्रम में मा0 अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 02.06.2021 को दिये गये निर्देशानुसार वन संरक्षक, शिवालिक, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी कालसी और प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी आदि की उपस्थिति में संरेखण्ड की जांच हेतु दिनांक 24.06.2021 को वन स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक–3A)

संयुक्त स्थल निरीक्षण नोट दिनांक 24.06.2021 के पैरा 2 के अनुसार संरेखण में वृक्षों की कटान की संख्या को कम करने के लिए 03.10.2021 को वन अधिकारियों और भा0रा0रा0प्रा0 प्रतिनिधियों के साथ एस0डी0ओ0 देहरादून, की उपस्थिति में सयुंक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या में कमी संभव नहीं है। (संलग्नक–3B)

Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 14/08/2023 05:21 pm

I/31907/2023

पुनः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्र क्रमांक 311/12–1 दिनांक 23.07.2022 के अन्तर्गत वन प्रस्ताव में छोटे पौधे (Saplings) आदि को सम्मिलित करने हेतु दिनांक 25.07.2022 से 16.08.2022 तक संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक–04)

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड ने पूर्व में ही अपने पत्र संख्या के माध्यम से उपरोक्त परियोजना संरेखण के लिए अपने पत्र सं0 455 दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से अपने सहमति जारी की गयी है। (संलग्नक–5)

अतः राष्ट्रीय हित की परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि संदर्भित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को स्वीकृति अग्रसारित करना चाहें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून **वन प्रभाग, देहरादून।**

पत्रांकः– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 2. महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0–वसन्त विहार, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 14/08/2023 05:21 pm